

[भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 77/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 15 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. (अ).-..... केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 47/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 9 अक्टूबर, 2019, जिसे सा.का.नि. 770(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2019, के तहत, भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैरा में, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. सी बी ई सी-20/06/09/2019-जी एस टी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण :- प्रधान अधिसूचना संख्या 47/2019 – केन्द्रीय कर दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 को सा.का.नि. 770(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।